

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भोनमाल

वादी/प्रार्थी-

साहनी ड/० सांगली  
कलवा वि० सावीधर  
वह. जसवंतपुरा

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

रतनाशम ड/० सांगली  
मुकेश वि० सावीधर  
वह. जसवंतपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / नंबर-...../20  
8/2018

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील<br>में जारी हुई |
|---------------|--|---|
| 16/4/18       | <p>उद्योग की ओर से अधिवक्ता श्री साहनी ड/० सांगली द्वारा मुकेश वि० सावीधर बाबत राजस्व वाद निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 30/4/2018 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा<br/>जिला-जालोर (राज.)</p> |   |
| 30/4/18       | <p>उपरोक्त फरिद इतिहास आदि की वजह से पेश हुए अतः मिशल इतिहास के अन्तर्गत केन्द्र सावीधर तारीख 6-6-18 को पेश</p>  |   |
| 6-6-18        | <p>पत्रावली आज लोक अदालत के मुकदमा सावीधर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आशानी लाभकारी आशानी है। प्रार्थीने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध आशानी निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रार्थीगण के कलेक्टर में पत्रावली या अपत्यसदृश</p>   | <p>हुकम जारी</p> <p>जसवंतपुरा</p>                             |

~~नहीं करे ख नहीं करे ।~~  
~~पुनरा का अपलोकेन किया~~  
~~वाइरगस्त आराजी सामलसी आराजी~~  
~~है सामलसी आराजी में प्रत्येक~~  
~~प्रोटेक्टर का इंच इंच पर समान~~  
~~हक हिस्सा का अधिकार होता है~~  
~~वाइरगस्त आराजी बाबर एक वाइर~~  
~~प्रोटेक्टर विभाजन का न्यायालय~~  
~~हाजा में विचारधीन है जो साइफ~~  
~~दस्तावेजी पुनरा से विधि समन~~  
~~निर्णय पारित हो लवेगा ऐसी~~  
~~स्थिति में प्राथमिक आस्था~~  
~~निवेद्याज्ञा पाने का अधिकारी प्रतीत~~  
~~नहीं होता है अतः पार्थीका प्राथमिक~~  
~~अस्वीकार किया जाता है निर्णय~~  
~~आज दिनांक 6/6/18 को कोर्ट में~~  
~~सार्कीपर सुनाया गया जिसल~~  
~~जिसल कुमार होकर नमकर से~~  
~~कम हो ।~~

  
 सहायक कलेक्टर, जयजन्तपुर  
 जिला-जालोर (राज.)